Journal Homepage: www.ijarpr.com ISSN: 3049-0103 (Online)

International Journal of Advance Research Publication and Reviews

Vol 03, Issue 11, pp 07-09, November, 2026

भारतीय संविधान के अंतर्गत अपराधी की परिवीक्षा (Probation of Offenders)

HIMMATSINGH DAWAR[1], Pro. Roshani Pandey[2]

25LAW4LLM0017
Sage university Indore
Institute of legal and law studies

1. प्रस्तावना

अपराधी की परिवीक्षा (Probation) आपराधिक न्याय व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण सुधारात्मक व्यवस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य अपराधी को केवल दंड देना नहीं, बल्कि उसमें सुधार लाकर उसे समाज की मुख्यधारा में पुनः स्थापित करना है।

परिवीक्षा का अर्थ है कि किसी अपराधी को कारावास में भेजने के स्थान पर कुछ निर्धारित शर्तों के अधीन समाज में रहने का अवसर दिया जाता है। इस अवधि में अपराधी को अच्छे आचरण एवं कानून का पालन करना होता है।

भारतीय आपराधिक न्याय व्यवस्था में परिवीक्षा का उद्देश्य अपराधियों को सुधारने, जेलों में भीड़ कम करने तथा अपराधियों के पुनर्वास को प्रोत्साहित करना है।

2. परिवीक्षा का अर्थ एवं परिभाषा

परिवीक्षा का अंग्रेजी अर्थ Probation है। यह एक ऐसी न्यायिक प्रक्रिया है जिसमें न्यायालय अपराधी को दोषसिद्ध करने के बाद या कानून द्वारा निर्धारित परिस्थितियों में कारावास का दंड देने के स्थान पर अच्छे व्यवहार की शर्त पर मुक्त कर सकता है।

सरल शब्दों में: परिवीक्षा वह व्यवस्था है जिसमें अपराधी को जेल भेजने के बजाय न्यायालय की निगरानी और निर्धारित शर्तों के अधीन समाज में रहने का अवसर दिया जाता है।

3. भारतीय संविधान में परिवीक्षा का आधार

भारतीय संविधान में परिवीक्षा के लिए कोई एक अलग अनुच्छेद निर्धारित नहीं है, लेकिन इसके सिद्धांत संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों से संबंधित हैं:

1. अनुच्छेद 14 – समानता का अधिकार: प्रत्येक व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता तथा कानून का समान संरक्षण प्राप्त है।
2. अनुच्छेद 20 – अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण: अपराधियों को कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करता है।
3. अनुच्छेद 21 – जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार: प्रत्येक व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसकी स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है।
4. अनुच्छेद 39A – निःशुल्क विधिक सहायता: आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को न्याय प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है।
5. अनुच्छेद 72 एवं 161 – क्षमादान की शक्ति: राष्ट्रपति और राज्यपाल को निर्धारित संवैधानिक परिस्थितियों में दंड के संबंध में शक्तियाँ प्रदान करते हैं।

ध्यान देने योग्य है कि परिवीक्षा का प्रत्यक्ष वैधानिक आधार मुख्य रूप से परिवीक्षा अपराधी अधिनियम, 1958 है।

4. अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के प्रमुख प्रावधान

भारत में परिवीक्षा की व्यवस्था मुख्य रूप से Probation of Offenders Act, 1958 के अंतर्गत की गई है। यह अधिनियम 16 मई 1958 को लागू हुआ था।

इसके प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं:

(1) धारा 3 – चेतावनी देकर छोड़ना

इस धारा के अंतर्गत न्यायालय कुछ छोटे अपराधों में दोषी व्यक्ति को उचित चेतावनी देकर छोड़ सकता है। इसके लिए अपराधी का पूर्व दोषसिद्ध होना नहीं चाहिए तथा न्यायालय को उसके चरित्र और अपराध की प्रकृति पर विचार करना होता है।

(2) धारा 4 – अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर छोड़ना

इस धारा के अनुसार मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराधों को छोड़कर अन्य अपराधों में न्यायालय अपराधी को अच्छे आचरण की शर्त पर रिहा कर सकता है।

- अपराधी को एक बंधपत्र देना होता है।
- परिवीक्षा की अवधि अधिकतम तीन वर्ष हो सकती है।
- अपराधी को शांति बनाए रखनी होती है।
- उसे अच्छा व्यवहार करना आवश्यक है।
- न्यायालय परिवीक्षा अधिकारी की निगरानी का आदेश भी दे सकता है।

(3) धारा 5 – मुआवजा एवं खर्च

न्यायालय अपराधी को रिहा करते समय पीड़ित व्यक्ति को उचित मुआवजा देने तथा न्यायिक कार्यवाही का खर्च चुकाने का आदेश दे सकता है।

(4) धारा 6 – 21 वर्ष से कम आयु के अपराधियों को संरक्षण

21 वर्ष से कम आयु के अपराधी को सामान्यतः कारावास की सजा देने के बजाय परिवीक्षा का लाभ देने पर विचार किया जाना चाहिए। यदि न्यायालय उसे कारावास देना उचित समझता है, तो इसके कारण दर्ज करना आवश्यक है।

(5) धारा 12 – दोषसिद्धि से उत्पन्न अयोग्यता से संरक्षण

परिवीक्षा के अंतर्गत छोड़े गए व्यक्ति को अधिनियम में निर्धारित परिस्थितियों में दोषसिद्धि से जुड़ी कुछ अयोग्यताओं से संरक्षण प्राप्त होता है।

(6) धारा 13 एवं 14 – परिवीक्षा अधिकारी

परिवीक्षा अधिकारी अपराधी के व्यवहार पर निगरानी रखता है तथा उसके सुधार एवं पुनर्वास में सहायता करता है।

5. परिवीक्षा के प्रमुख उद्देश्य

1. अपराधियों को सुधारने का अवसर प्रदान करना।
2. जेलों में कैदियों की संख्या कम करना।
3. अपराधियों को समाज से अलग होने से बचाना।
4. अपराधियों का सामाजिक एवं नैतिक विकास करना।
5. युवा अपराधियों को अपराध की दुनिया से दूर रखना।
6. अपराधियों का पुनर्वास एवं सामाजिक पुनर्स्थापन करना।
7. अपराध की पुनरावृत्ति को रोकना।

6. परिवीक्षा अधिकारी की भूमिका

परिवीक्षा अधिकारी अपराधी के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- अपराधी के पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन का अध्ययन करना।
- न्यायालय को अपराधी के चरित्र संबंधी रिपोर्ट देना।
- अपराधी के व्यवहार पर निगरानी रखना।
- रोजगार एवं शिक्षा प्राप्त करने में सहायता करना।
- अपराधी को समाज में सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए प्रेरित करना।
- परिवीक्षा की शर्तों का पालन सुनिश्चित करना।

7. परिवीक्षा के लाभ

1. अपराधी को सुधार का अवसर मिलता है।
2. कारागार में अपराधियों के आपराधिक प्रभाव से बचाव होता है।
3. सरकार के जेल संबंधी खर्च में कमी आती है।
4. अपराधी अपने परिवार के साथ रह सकता है।
5. युवा अपराधियों का भविष्य सुरक्षित करने में सहायता मिलती है।
6. समाज में पुनर्वास और सुधारात्मक न्याय को बढ़ावा मिलता है।

8. परिवीक्षा की सीमाएँ

- गंभीर अपराधों में इसका लाभ सामान्यतः उपलब्ध नहीं होता।
- अपराधी द्वारा शर्तों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
- परिवीक्षा अधिकारियों की कमी के कारण निगरानी प्रभावित हो सकती है।
- समाज में अपराधियों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण पुनर्वास में बाधा बन सकता है।
- उचित निगरानी के अभाव में अपराध की पुनरावृत्ति हो सकती है।

9. न्यायिक दृष्टिकोण

भारतीय न्यायालयों ने अपराधियों के सुधार और पुनर्वास के महत्व को स्वीकार किया है। परिवीक्षा का उद्देश्य अपराधी को बिना उचित कारण जेल भेजने के बजाय उसके सुधार की संभावना पर विचार करना है।

इस व्यवस्था में न्यायालय अपराध की प्रकृति, अपराधी के चरित्र, आयु तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निर्णय करता है।

10. निष्कर्ष

अंततः कहा जा सकता है कि भारतीय आपराधिक न्याय व्यवस्था में अपराधी की परिवीक्षा एक महत्वपूर्ण सुधारात्मक सिद्धांत है। इसका उद्देश्य अपराधी को दंडित करने के साथ-साथ उसे सुधारकर एक जिम्मेदार नागरिक बनाना है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 21 में निहित समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मूल्यों तथा राज्य के कल्याणकारी उद्देश्यों के अनुरूप परिवीक्षा व्यवस्था सामाजिक न्याय को बढ़ावा देती है। परिवीक्षा का मूल सिद्धांत है कि प्रत्येक अपराधी को सुधार का अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि दंड का उद्देश्य केवल प्रतिशोध नहीं, बल्कि अपराधी का सुधार भी है।

महत्वपूर्ण संदर्भ

- - [अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 – India Code]